भारतीय
वैश्विक परिषद्

भारत में दैनिक जीवन पर विदेश नीति का प्रभाव

दो निबंध

गुरजीत सिंह चिंतामणि महापात्रा

भारतीय वैश्विक परिषद्
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
2023

भारतीय
वैश्विक परिषद्

भारत में दैनिक जीवन पर विदेश नीति का प्रभाव

दो निबंध

गुरजीत सिंह चिंतामणि महापात्र

भारतीय वैश्विक परिषद्,
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
नवंबर 2023

© ICWA November 2023

अस्वीकरण: इन लेखों में विचार, विश्लेषण और संस्तुतियाँ लेखकों की हैं।

विषय-सूची

प्राक्कथन **5**

लोगों के जीवन पर विदेश नीति का कोमल स्पर्श..... .... **7**
राजदूत गुरजीत सिंह

भारत में दैनिक जीवन पर विदेश नीति का प्रभाव..... .... **25**
प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा

लेखकों के बारे में..... ..... **45**

प्राक्कथन

विदेश नीति को पहले नागरिकों के दैनिक जीवन से दूर राजनीति और कूटनीति के दायरे तक सीमित गतिविधि के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, तथ्य यह है कि सरकारों द्वारा लिए गए विदेश नीति निर्णयों का नागरिकों के दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के शब्दों में, "हम अपनी विदेश नीति में जो निर्णय लेते हैं, वे हर दिन आपके जीवन को प्रभावित करते हैं... अगर हमने अच्छी विदेश नीति नहीं बनाई होती, तो पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होती, खाना पकाने के तेल की कीमत भी अधिक होती और आपके अगले iPhone की कीमत भी अधिक होती। आज हम अन्य विदेशी साझेदारों के साथ जो करते हैं उसका वास्तव में आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।"

ईंधन, भोजन, उर्वरक, मासिक बजट, शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरियां, निवेश, प्रौद्योगिकी, छात्र और श्रमिक गतिशीलता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक लाभ के संदर्भ में भारत की विदेश नीति अपने नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को कैसे छूती है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अकादमिक और नीतिगत हलकों में शायद ही कभी चर्चा की जाती है। पिछले दशक में, भारतीय विदेश नीति की प्रकृति बदल गई है, जिस तरह से इसे लागू किया जाता है, इसमें कौन शामिल है और यह कैसे प्रभावित करती है। भारतीय विदेश नीति की पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में जनता तक बढ़ी है और इसी तरह लोगों की रुचि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और उपलब्धियों में बढ़ी है क्योंकि उनके दैनिक जीवन में इसके प्रभावों की समझ में वृद्धि हुई है।

यह विशेष प्रकाशन इस बात की पड़ताल और जांच करता है कि भारतीय विदेश नीति अपने नागरिकों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसमें दो प्रतिष्ठित भारतीय विशेषज्ञों के पेपर शामिल हैं।

राजदूत गुरजीत सिंह ने अपने पेपर *'लोगों के जीवन पर विदेश नीति का कोमल स्पर्श'* में कई विषयों को शामिल किया है जहां भारत की विदेश नीति लोगों के जीवन, भारतीय पासपोर्ट प्रणाली, शिक्षा और अध्ययन गंतव्य, श्रम गतिशीलता, अपने नागरिकों की निकासी, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, एफडीआई, व्यापार और एफटीए सहित अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उनका यह भी तर्क है कि विदेश नीति और उसकी उपलब्धियाँ न केवल शक्ति का प्रक्षेपण हैं, बल्कि सार्वजनिक हित की उपलब्धि भी हैं।

प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा ने अपने पेपर *'भारत में दैनिक जीवन पर विदेश नीति का प्रभाव'* में तर्क दिया है कि देश की विदेश नीति किसी देश के नागरिकों के लिए "विदेशी" नहीं है और न ही हो सकती है। वह चर्चा करते हैं कि कैसे प्रमुख शक्तियों, पड़ोसी देशों, आर्थिक साझेदारों और साथी विकासशील देशों के साथ भारत की कूटनीतिक भागीदारी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, उनकी धारणा को आकार देती है और उनकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।

आईसीडब्ल्यूए को उम्मीद है कि यह प्रकाशन यह समझने में उपयोगी होगा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन के कई पहलुओं को कैसे छूती है और इस विषय पर आगे के अध्ययन के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

महानिदेशक
भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस
नवंबर 2023

लोगों के जीवन पर विदेश नीति का कोमल स्पर्श

राजदूत गुरजीत सिंह

भारतीय विदेश नीति से संबंधित पिछले दशक की एक विशेषता विदेश नीति के उद्देश्यों और उपलब्धियों के साथ बड़े पैमाने पर लोगों का गहन जुड़ाव है। 2023 में G 20 की भारत की अध्यक्षता शायद एक सबक थी कि यह किस प्रकार से लोगों की अध्यक्षता थी। आधिकारिक बैठकों, समानांतर बैठकों और इस तरह की घटनाओं को पूरे देश में फैलाकर कई राज्यों और शहरों और परिणामस्वरूप लोगों को G 20 प्रक्रिया में शामिल करने का एक बहुत ही गहन और सफल प्रयास किया गया। यह G 20 अध्यक्षता के रूप में किसी अन्य देश द्वारा किए गए कार्यों से अलग था।

भारतीय सत्ताधारी वर्ग पूरे भारत में लोगों के बीच यह समझ लाने के लिए उत्सुक था कि वह वैश्विक स्तर पर क्या कर रहा है। जबकि कई विषय रणनीतिक, जटिल आर्थिक मामले, या जलवायु के कार्यात्मक मुद्दों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से निपट रहे थे, फिर भी प्रत्येक शहर में एक उत्साह था। मैंने G 20 बैठकों के समय ऐसे कई शहरों की यात्रा की है और मैंने उत्सव का माहौल देखा, शहर के कई वर्गों की भागीदारी देखी और यह G 20 के लिए पूरे देश का दृष्टिकोण विकसित करने जैसा था।

भारत की विदेश नीति की
उपलब्धियों और उद्देश्यों के साथ
लोगों को जोड़ने के इस दृष्टिकोण ने विदेश मंत्रालय और इसकी एजेंसियों में गर्व और इसकी जिम्मेदारियों की भावना पैदा की।

हालाँकि, पिछले दशक के दौरान विदेश नीति में जो कुछ भी हुआ है, जिसने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, वह शायद अभूतपूर्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसका एहसास निश्चित रूप से एक नया कारक है। आज बहुत से लोग, पहले से कहीं अधिक, भारत की विदेश नीति को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखते हैं जो उनके स्वयं के जीवन को प्रभावित करता है।

इसका अंदाजा विभिन्न तरीकों से लगाया जा सकता है। यह पेपर कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखने का प्रयास करता है जहां भारतीय विदेश नीति ने भारत के लोगों के वर्गों के लिए अपेक्षाएं प्रकट कीं और उनकी पूर्ति का एहसास किया।

शीत युद्ध की समाप्ति पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति, वैश्वीकरण का आगमन विश्व स्तर पर भारतीयों की पहुंच बढ़ाने में कारक थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुभव हुआ

हालाँकि, पिछले दशक के दौरान विदेश नीति में जो कुछ भी हुआ है, जिसने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, वह शायद अभूतपूर्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसका एहसास निश्चित रूप से एक नया कारक है। आज बहुत से लोग, पहले से कहीं अधिक, भारत की विदेश नीति को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखते हैं जो उनके स्वयं के जीवन को प्रभावित करता है।

और वे जागरूक हुए कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। वैश्वीकरण के तहत खुले अवसरों और भारतीय सत्ताधारी वर्गसे उनकी अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के क्या लाभ हो सकते हैं?

द डायस्पोरा

भारतीय प्रवासियों में भारतीय मूल के लोग और अनिवासी भारतीय दोनों शामिल हैं। पीआईओ में बड़े समुदाय हैं, जो कुछ पीढ़ियों पहले भारत से चले गए, और भारत के साथ संबंध बनाए रखते हैं, भले ही वे कभी-कभी तीन पीढ़ियों से अधिक समय से किसी अन्य देश के नागरिक हैं। हालाँकि, ऐसे पीआईओ भी हैं, जो पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं और परिवार, संस्कृति और आर्थिक इंटरफेस के माध्यम से भारत के साथ उनके बहुत करीबी संबंध हैं। एनआरआई'ज़ वे हैं जो भारतीय बने रहते हैं लेकिन मुख्यतः आर्थिक कारणों से विदेशों में रहते हैं।

पिछले दशक में इन एनआरआई'ज़ और पीआईओ'ज़ की प्रकृति बदल गई है। आज बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय निगमों, नागरिक समाज संगठनों और अक्सर उन विदेशी कंपनियों के लिए भी काम करते हैं जिनकी जड़ें उनके मूल देश में घरेलू स्तर पर हैं। इस प्रकार, भारत से इस बड़ी प्रवासी आबादी को उम्मीदें हैं क्योंकि उनका भारत के साथ मजबूत संबंध है और वे अक्सर स्वदेश की यात्रा करते हैं और, विशेष रूप से एनआरआई, भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं क्योंकि उन्होंने नागरिकता नहीं छोड़ी है।

प्रवासी भारतीयों की समस्याएं और आकांक्षाएं हमेशा चिंता का विषय रही हैं लेकिन पिछले दशक में इस पर कई मायनों में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नेतृत्व, जिसे वर्तमान विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कुशलतापूर्वक जारी रखा है, ने भारतीय प्रवासियों को देशों के साथ बातचीत और उनके मुद्दों को हल करने में आगे रखा है। ऐसा करते हुए, वे भारतीय प्रवासियों को राजनीतिक खेल में ले आए हैं। जब पीएम मोदी विदेश यात्रा करते हैं, तो वह हमेशा बड़ी प्रवासी सभा को संबोधित करते हैं जो अक्सर मेजबान देश के लिए आश्चर्य की बात होती है।

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और कई यूरोपीय देशों में ऐसे आयोजनों की सफलता अच्छी तरह से देखी गई है। इससे भारत और उसके उद्देश्यों के प्रति प्रवासी भारतीयों की निष्ठा की अभिव्यक्ति बढ़ती है और उन्हें अक्सर अच्छे भारतीय राजदूत बनने की सलाह दी जाती है। साथ ही, इससे उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि भारतीय सत्ताधारी वर्ग उन पर कैसी प्रतिक्रिया देगा।

भारतीय प्रवासी बड़े पैमाने पर भारत के प्रति वफादार रहे हैं, हालांकि नाखुश और असंतुष्ट तत्वों की कुछ विसंगतियां भी हैं। लेकिन प्रवासी भारतीयों को उम्मीद है कि भारतीय विदेश नीति उन देशों में उनके लिए बेहतर कद हासिल करेगी जहां वे रहते हैं। उनका मानना है कि पिछले दशक में

हाल के वर्षों में, बहुध्रुवीयता की खोज करते हुए, अधिक खुले और सर्वदिशात्मक तरीके से भारतीय विदेश नीति की भागीदारी ने भारतीय प्रवासियों को विश्व स्तर पर एक बढ़ता हुआ कद प्रदान किया है। आज जिन देशों में वे रहते हैं, उन पर वास्तव में अधिक ध्यान दिया जाता है और उन्हें सकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसे वे अपने लिए एक बड़ी ख़ूबी मानते हैं।

इसे बेहतर ढंग से हासिल किया गया है। आज उन्हें विशेष रूप से यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में पहले की तुलना में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

इस तरह, हाल के वर्षों में, बहुध्रुवीयता की खोज करते हुए अधिक खुले और सर्वदिशात्मक तरीके से भारतीय विदेश नीति की भागीदारी ने भारतीय प्रवासियों को विश्व स्तर पर एक बढ़ता हुआ कद दिया है। आज वास्तव में जिन देशों में वे रहते हैं वहां उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उन्हें सकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसे वे अपने लिए बड़ी ख़ूबी मानते हैं।

इससे तीन छोटे मुद्दे जुडे हैं। पहला है विदेश में अध्ययन और काम करने का अवसर। भारत के कई राज्यों में बेहतर रोज़गार की तलाश में लोगों को विदेश भेजने की बड़ी इच्छा है। ये सभी महत्वाकांक्षाएं प्रवासन को जन्म देती हैं, हालांकि हमेशा एक ही तरह से नहीं। ऐसी जगहें हैं जहां से लोग ब्लू-कॉलर वर्कर के रूप में खाड़ी देशों में जाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो शिक्षित आईटी कर्मियों को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान भेजना चाहते हैं। कई अन्य मामलों में, एक टैग है: पंजाब के परिवारों को इस उम्मीद के साथ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के लिए जाने की बहुत इच्छा है कि इससे कार्यबल में स्थानीयकरण और समावेशन होगा।

इस उद्देश्य से, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में भारतीय लोग, ऐसे देशों में अपने संक्रमण को आसान बनाने के लिए सरकारी सुविधा चाहते हैं। उदाहरण के लिए, खाड़ी के मामले में, मांगें अधिक सु अवसर, शोषण से बेहतर सुरक्षा और परेशानी की स्थिति में आसान प्रत्यावर्तन की हैं। भारत में कुछ राज्यों ने ऐसे अस्थायी, हालांकि असंख्य प्रवासियों से निपटने के लिए समर्पित कक्ष स्थापित किए हैं।

दूसरे, अन्य देशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, कार्य वीजा तक आसान पहुंच, उनके सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अधिक न्यायसंगत प्रशासन और पारिवारिक वीजा तक बेहतर पहुंच की मांग है।

इसके लिए कुछ समझ की आवश्यकता है। आईटी से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले कई भारतीयों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा ख़ुशी से असाइनमेंट की पेशकश की जाती है। हालाँकि, उनके संक्रमण में उनकी पत्नियों और बच्चों, उनके परिवार के सदस्यों के लिए वीज़ा और ऐसी यात्राओं की आवृत्ति से संबंधित समस्याएं हैं।

यहीं पर सांस्कृतिक अंतर नज़र आता है। विशेष रूप से यूरोपीय देशों को यह समझ में नहीं आता कि आश्रित बेटियों या माता-पिता को कामकाजी बेटे या बेटी के साथ क्यों रहना पड़ता है क्योंकि उनके समाज में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए उन देशों में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार से समझाया-बुझाया जाता है, जो कांसुलर मामलों के तहत ऐसे मामलों पर चर्चा करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

इसलिए, तीसरे, कांसुलर संवाद और वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, जो भारत कई विकसित देशों के साथ करता है, में वृद्धि हुई है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि भारतीय लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें सुधारने की मांग को सरकारी समाधान की आवश्यकता है।

इसमें सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा शामिल है, जो अक्सर हस्तांतरणीय नहीं होता था, और यहां तक कि यूरोप में अल्पावधि के लिए काम करने वाले और फिर भारत लौटने वाले भारतीयों को भी इसके लिए भुगतान करना पड़ता था और उस राशि के वापस मिलने की कोई संभावना नहीं होती थी। अमेरिका के मामले में, पति-पत्नी और बच्चों के लिए एच1बी वीज़ा और संबंधित वीज़ा की संपूर्ण श्रृंखला और ग्रीन कार्ड में देरी एक प्रमुख मुद्दा रहा है जिसके साथ सरकार पिछले कुछ समय से धीरे-धीरे काम कर रही है।

शिक्षा मायने रखती है

भारतीयों में शिक्षा के लिए विदेश जाने की बहुत इच्छा होती है। जबकि पहले प्राथमिकताएँ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश थे, इसका तेजी से विस्तार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों तक हो गया है। जिन देशों में भारतीय पढ़ने जाते हैं उनमें से

महामारी के बाद भारत ने प्रति वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मई 2014 से मई 2022 तक विदेश मंत्रालय ने रिकॉर्ड 8.81 मिलियन पासपोर्ट जारी किए। इनमें से 7.87 मिलियन भारत में और लगभग 1 मिलियन विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में जारी किए गए थे। वार्षिक रिकॉर्ड 2018 में हासिल किया गया जब 1.15 मिलियन पासपोर्ट जारी किए गए। उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने की जनता की मांग से निपटने के लिए प्रणालियों में काफी सुधार हुआ है।

कई देश अक्सर तब तक ध्यान में नहीं आते जब तक कोई संकट न हो। उदाहरण के लिए, यूक्रेन संकट के दौरान अचानक पता चला कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र थे। इसी प्रकार, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अन्य विषयों के साथ-साथ चिकित्सा का अध्ययन करने वाले भारतीय छात्र बहुत बड़ी संख्या में हैं। किसी भी समय, वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं और जब संकट निकासी का आयोजित की जाती है, तो वे प्रवासियों की तुलना में बड़ी संख्या में निकासी के लिए सामने आते हैं।

भारतीय पासपोर्ट प्रणाली

उन्हें पहले से कहीं अधिक कुशल भारतीय पासपोर्ट प्रणाली की सुविधा मिली है।

आज, एक भारतीय नागरिक के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान बात है। जबकि, 2000 में जब मैं पासपोर्ट निदेशक था, मुझे याद है कि यह एक कठिन काम था। भारत ने उस समय लगभग 25 लाख पासपोर्ट जारी किये थे। महामारी के बाद भारत ने प्रति वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी किए हैं। मई 2014 से मई 2022 तक, विदेश मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने रिकॉर्ड 8.81 मिलियन पासपोर्ट जारी किए। इनमें से 7.87 मिलियन भारत में और लगभग 1 मिलियन विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में जारी किए गए थे। वार्षिक रिकॉर्ड 2018 में हासिल किया गया था जब 1.15 मिलियन पासपोर्ट जारी किए गए थे। उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने की जनता की मांग को पूरा करने के लिए प्रणालियों में काफी सुधार हुआ है। इनमें से आधे भारतीय पासपोर्ट महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से हैं, जो अपने राज्यों के लोगों की विदेश यात्रा में रुचि दर्शाते हैं।

2000 में, दिल्ली में आरपीओ में मशीन से पढ़ने योग्य पासपोर्ट के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे धीरे-धीरे विस्तारित किया जाना था, ताकि अंततः सभी भारतीय पासपोर्ट मशीन से पढ़ने योग्य हो जाएं और इस प्रकार आईसीएओ आवश्यकताओं के अनुकूल हो जाएं। अब, भारतीय लोगों की यह एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि उनके यात्रा दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के तहत यथासंभव व्यापक रूप से स्वीकार्य हों। उन दिनों, हस्तलिखित, लेमिनेटेड पासपोर्ट से भारतीय यात्रियों को कई समस्याएं होती थीं। यदि विदेशों में आव्रजन अधिकारियों को लगता था कि पासपोर्ट ढीला हो गया है, उसका लेमिनेशन या लिखावट ख़राब हो गई है तो वे इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे।

2000 के आसपास, जारी किए गए सभी पासपोर्टों के डेटा बेस को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विदेश मंत्रालय के सीपीवी डिवीजन द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया था।

मशीन से पढ़ने योग्य पासपोर्ट जारी करना और पहले जारी किए गए पासपोर्ट का एक डेटाबेस रखना संभव नहीं था जो पूरी तरह से हस्तलिखित था, क्योंकि तब, पुराने पासपोर्ट को विदेशों में नहीं पढ़ा जा सकता था।

इसलिए मशीन से पढ़ने योग्य पासपोर्ट जारी करने के साथ-साथ, विदेश मंत्रालय ने एक डेटाबेस तैयार किया जिसे भारतीय मिशनों द्वारा पासपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए कहीं भी पढ़ा जा सकता है। पासपोर्ट डेटाबेस पूरा करने के लिए सभी पुराने पासपोर्टों को ऑनलाइन लाना होगा।

मुझे गर्व के साथ याद है कि उन दिनों, हमने श्रीनगर, गुवाहाटी, जम्मू और कोझिकोड सहित पूरे भारत के लगभग 25 पासपोर्ट कार्यालयों में से प्रत्येक में पासपोर्ट के पुराने रिकॉर्ड को स्कैन करने में लगभग एक वर्ष लगाया था। यह एक कठिन कार्य था जिसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी, जिसे मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स की भारी चुनौती के कारण यह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। इस प्रयास के माध्यम से, यह हुआ कि जो भी भारतीय अपना पासपोर्ट खो देता था या उसका पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया जाता था, अब उसे अपने गृह राज्य में सत्यापन के लिए पुलिस को अपना

2022 में 13,00,000 से अधिक भारतीय छात्र दुनिया भर के 79 देशों में पढ़ रहे थे। पढ़ाई के लिए नए गंतव्यों पर जाने वाले भारतीयों की भीड़ ने पासपोर्ट जारी करने से लेकर समय पर वीजा प्राप्त करने की जिम्मेदारी को परिवर्तित कर दिया है।

मामला भेजने के लिए भारतीय दूतावास का इंतजार नहीं करना पड़ता था। इस डेटाबेस के माध्यम से, पासपोर्ट विवरण का सत्यापन ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पासपोर्ट नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और त्वरित सुविधा आसान हो जाती है।

पिछले दशक में, यह पुराना हस्तलिखित डेटा बेस निरर्थक हो गया है क्योंकि उन सभी पासपोर्टों का जीवनकाल समाप्त हो चुका है। नए पासपोर्ट अब सभी मशीन से पढ़ने योग्य प्रारूपों में जारी किए जाते हैं जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगत बनाते हैं।
इसलिए, पासपोर्ट की सर्विसिंग, पासपोर्ट प्राप्त करना, खोए हुए पासपोर्ट को बदलना और पासपोर्ट का नवीनीकरण करना सभी भारतीय लोगों की महत्वपूर्ण चिंताएँ रही हैं और इन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी में विदेश मंत्रालय द्वारा बहुत कुशलता से पूरा किया गया है।

आम तौर पर, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को पासपोर्ट प्राप्त करने की जल्दी में लोगों की मदद करने के लिए अक्सर फोन आते रहते हैं। अब, ये कम हो गए हैं क्योंकि सिस्टम ने उन समस्याओं को कम कर दिया है जिनका लोगों को पहले सामना करना पड़ता था। यह शायद लोगों पर भारतीय विदेश नीति सत्ताधारी वर्गके प्रत्यक्ष प्रभाव के बीच सबसे प्रभावी ढंग से संबोधित मुद्दों में से एक है।

नए गंतव्य

2022 में 13,00,000 से अधिक भारतीय छात्र दुनिया भर के 79 देशों में पढ़ रहे थे। मुख्य एकत्रीकरण उन देशों में था, जहां भारतीय छात्रों को विशेष रूप सेमें प्राथमिकता मिली है विशेषतः यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी।
महामारी के बाद मेडिकल छात्रों ने अन्य देशों के साथ साथ रूस, पोलैंड, चीन, यूक्रेन, फिलीपींस उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, मॉरीशस, लिथुआनिया, लातविया और आर्मेनिया सहित अन्य की ओर देखा। यूक्रेन संकट ने इस सूची को फिर से बदल दिया।

पढ़ाई के लिए नए गंतव्यों पर जाने वाले भारतीयों की भीड़ ने पासपोर्ट जारी करने से लेकर समय पर वीजा प्राप्त करने की जिम्मेदारी को स्थानांतरित कर दिया है। जिस तरह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में होने वाली परेशानी से राहत मिल रही थी, उसी तरह अधिकारियों पर समय पर वीजा जारी करने के लिए विदेशी दूतावासों के साथ हस्तक्षेप करने का दबाव था, ताकि विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्र अपने तेजी से बढ़ते सेमेस्टर के लिए समय पर वहां पहुंच सकें।

2022 में, भारत पहली बार एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन ब्यूरो (बीओआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 1.8 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जबकि 2021 में यह संख्या 77.2 लाख थी। आउटबाउंड पर्यटन में वृद्धि ने पर्यटन सुविधा और वीज़ा-मुक्त या आगमन पर वीज़ा व्यवस्था की मांग को बढ़ावा दिया है।

इसका मुख्य कारण यह था कि कई शेंगेन देशों ने महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों को कम कर दिया था और महामारी खत्म होने के बाद वीजा मांगने वाली बड़ी संख्या के लिए वे तैयार नहीं थे। प्रतिक्रियाएँ धीमी रही हैं, और अपने देशों में जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय रूप से लिए गए राजनीतिक निर्णयों के साथ तालमेल नहीं रखा है।

भारतीय विदेश नीति सत्ताधारी वर्गके लिए ये नए कार्य हैं।

पर्यटन सुविधा

पर्यटन में भी अचानक वृद्धि हो रही है और भले ही भारत में विदेशी पर्यटक उसी गति से छात्रों को आमंत्रित किया, उनकी फीस स्वीकार की, उन्हें प्रवेश दिया और फिर उनके दूतावास और उच्चायोग उनके वीजा में लगातार देरी करेंगे। विदेश मंत्रालय और विदेश नीति

भारतीयों को दुख हुआ कि कई देशों ने भारतीय सत्ताधारी वर्गकी शांत कार्रवाई से कुछ सुधार हुआ। वे कितने वीज़ा जारी कर रहे हैं, इस बारे में पश्चिमी मिशनों के ट्वीट्स की संख्या से पता चलता है कि आश्वासन कारक काम कर रहा है, भले ही वितरण की गति और संख्या अभी भी लोगों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है।

नहीं बढ़े हैं, लेकिन महामारी के बाद विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। 2022 में, भारत पहली बार एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया

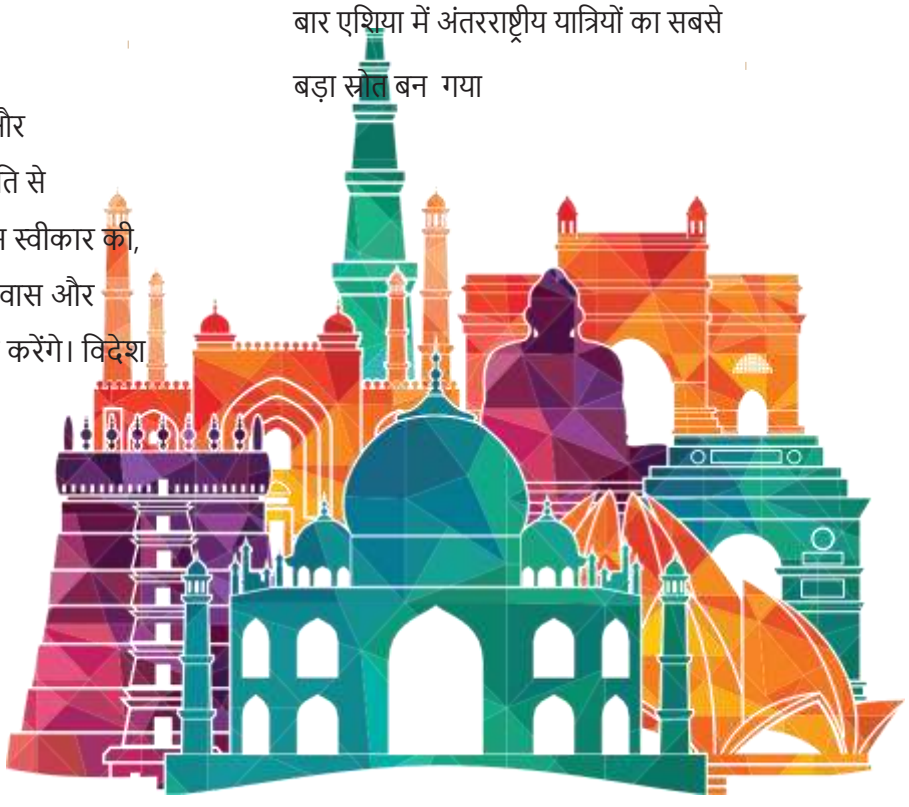

गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन ब्यूरो (बीओआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 1.8 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जबकि 2021 में यह संख्या 77.2 लाख थी। आउटबाउंड पर्यटन में वृद्धि ने पर्यटन सुविधा और वीज़ा-मुक्त या आगमन पर वीज़ा व्यवस्था की मांग को बढ़ावा दिया है।

यहां कई कारक काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भारतीय विदेश नीति के प्रयास भारतीय पर्यटकों को आसानी से यात्रा करने की अनुमति देते हैं। इनमें से पहला है बहुत बड़ी संख्या में देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध। दूसरे, कभी-कभी पारस्परिक और कभी-कभी एकतरफा, भारत इन मित्र देशों के साथ भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा की व्यवस्था के लिए काम करता है। जिन दो देशों में मैं राजदूत था, इथियोपिया (2005-2009) और इंडोनेशिया (2012-2015) में मैं इसे अपनी हस्ताक्षरित उपलब्धि के रूप में याद करता हूं। तथ्य यह है कि आपको पहले से वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और आप बिना वीजा की परेशानी के देश में जा सकते हैं, इससे इंडोनेशिया सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पर्यटन में वृद्धि हुई है।

तीसरा, 2014 में भारत द्वारा ई-वीजा प्रणाली की शुरूआत एक बड़ी ख़ूबी रही है। मूल रूप से यह उन देशों के लिए बनाया गया था जहां भारत का कोई निवासी मिशन नहीं था और शुरुआत में 43 देशों को कवर करता था, अब 156 को कवर करता है। मुझे याद है कि चूंकि तिमोर लेस्ते में डिली में हमारा कोई मिशन नहीं था, इसलिए वहां के लोगों को भारत के लिए उड़ान भरने से पहले वीजा प्राप्त करने के लिए बाली, इंडोनेशिया में

भारतीय वाणिज्य दूतावास में लगभग दो दिन पहले यात्रा करनी पड़ती थी। एक बार जब ई-वीज़ा शुरू हो गया तो इससे उनकी यात्रा का समय और खर्च कम हो गया।

ई-वीजा प्रणाली की सफलता से उन देशों में कवरेज का विस्तार हुआ जहां मिशन मौजूद थे और कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए, विदेशी ई-वीजा ले सकते थे और भारत आ सकते थे। इससे भारत के पर्यटन प्रचार की छवि को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली और कई देशों ने आगमन पर वीज़ा या वीज़ा मुक्त व्यवस्था जैसी पारस्परिक सुविधाएं बनाने को स्वीकार कर लिया।

यह ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें पासपोर्ट सूचकांक की ताकत के अंतर्गत गिना जाता है जो दर्शाता है कि भारतीय 59 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की बढ़ती ताकत भारत के लोगों के लिए गर्व और सुविधा का विषय है। जैसे-जैसे भारत अधिक वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा व्यवस्था पर काम करता है, यह ताकत बढ़ती है।

छात्र और श्रमिक गतिशीलता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

ब्लू कॉलर और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों दोनों के लिए छात्र और श्रमिक गतिशीलता की अवधारणा भारतीय लोगों के उन वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उम्मीद करते हैं कि भारतीय विदेश नीति उनके लिए रास्ते खोलेगी,

भारतीय उद्यमियों की वर्तमान पीढ़ी को अक्सर उस कठिन रास्ते का एहसास नहीं होता है जिसके माध्यम से भारतीय कूटनीति व्यापक बातचीत, विश्वास निर्माण उपायों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था खोलने के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के इस चरण तक पहुंची है।

उन्हें सुरक्षित करेगी और इन अवसरों का लाभ उठाने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगी। जहां तक श्रमिक गतिशीलता का संबंध है, हाल के वर्षों में, भारत सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए द्विपक्षीय श्रम जनशक्ति और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्थाएं लागू कर रहा है।

इससे संबंधित प्रौद्योगिकी इनपुट का मुद्दा है। अक्सर जो भारतीय विदेश में पढ़ते हैं या विदेश में काम करते हैं वे वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन, कुछ मामलों में, भारतीय वापस लौटना चाहते हैं और भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करना चाहते हैं। अतीत में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में बाधाएं आई हैं क्योंकि सीएनसी मशीनों जैसी साधारण चीजों में भी विशेष रूप से दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी पर संदेह जुड़ा हुआ था। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के अपवादों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर बहस करने के लिए विदेश मंत्रालय और जापान सहित संबंधित देशों में दूतावासों को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी।

हालाँकि, भारत तब से एक लंबा सफर तय कर चुका है। प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के प्रवेश - एमटीसीआर व्यवस्था, वासेनार समझौता, ऑस्ट्रेलिया समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, रासायनिक और जैविक हथियार सम्मेलनों के लिए इसे प्राप्त समर्थन ने इस प्रक्रिया में मदद की। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के साथ आए संदेहों के दूर होने और परिणामस्वरूप प्रतिबंधों के हटने से भारत की विदेश नीति की सफलता सुनिश्चित हुई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में देखा जाता है जो अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है और उसका सम्मान किया जाता है। इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आसान हो जाता है।

उदाहरण के लिए, जर्मनी जैसे देशों में संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों के बारे में कुछ प्रश्न बने हुए हैं, लेकिन जहां नागरिक और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का सवाल है, रास्ता आसान हो गया है। इज़राइल और अमेरिका ऐसी उच्च प्रौद्योगिकियों पर भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय उद्यमियों की वर्तमान पीढ़ी को अक्सर उस कठिन रास्ते का एहसास नहीं होता है जिसके माध्यम से भारतीय कूटनीति व्यापक बातचीत, विश्वास निर्माण उपायों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था खोलने के

भारतीय बाह्य एफडीआई को विशेष रूप से तीन पहलुओं के लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता है: दोहरा कराधान बचाव समझौते, अद्यतन द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते और प्रतिस्पर्धी दरों पर स्थानीय वित्त।

माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के इस चरण तक पहुंची है।

विदेशों में भारतीय एफडीआई

भारतीय एफडीआई कई भारतीय कंपनियों के बीच पसंदीदा है, खासकर एमएसएमई क्षेत्र में। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश भारतीय विदेशी निवेश, विशेष रूप से अफ्रीका और आसियान के कुछ हिस्सों में, वास्तव में एमएसएमई'ज़ से आता है। ये कंपनियाँ छोटी हैं और इन्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता है, लेकिन वे उद्यमशील और साहसी हैं, ऐसे बाज़ारों में उद्यम करती हैं जहाँ उन्हें अवसर और चुनौतियाँ दिखती हैं, तथापि जोखिम लेने के लिए तैयार रहती हैं। मैं आसियान देशों और अफ्रीका में जिन उद्यमियों से मिला हूं उनमें से अधिकांश अपने दम पर आए, चुनौती को समझा और अक्सर सफलता हासिल की और फिर इसमें कई गुना वृद्धि की।

भारतीय बाह्य एफडीआई को विशेष रूप से तीन पहलुओं के लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। पहला दोहरा कराधान बचाव समझौता है। इससे भारतीय उद्यमियों को अपने मेजबान देश या भारत में बहुत अधिक कराधान से बचत होती है। दूसरा, एक संशोधित द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते (बीआईपीए) का विद्यमान होना है। यह एक मुद्दा रहा है क्योंकि भारत ने मौजूदा बीआईपीए को ख़त्म होने दिया और उन्हें संशोधित करने के लिए काम किया। जबकि कुछ देशों के साथ व्यापक सीईपीए समझौतों में बीआईपीए प्रावधान शामिल हैं, विशेष रूप से अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ ऐसा नहीं है और इसलिए, इन पर अलग से बातचीत करने की आवश्यकता है।

मॉरीशस एक अपवाद रहा है जहां पुराने डीटीएए को सीईपीए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था लेकिन यह भारतीय एफडीआई के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में नहीं बल्कि अन्य कारकों के कारण प्रतिस्थापन की प्रकृति में था। इस मामले पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि एफडीआई रूब्रिक के तहत हम देख सकते हैं कि आसियान में भारतीय निवेश और अफ्रीका में भारतीय निवेश दोनों बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से सम्मानित हैं। अफ्रीका महाद्वीपीय एफटीए और आरसीईपी व्यवस्था के तहत, अफ्रीका और आसियान में भारतीय निवेश से सीमा पार आवाजाही और लाभ बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए, इन निवेशों को आवश्यक डीटीएए और बीआईपीए व्यवस्थाओं के माध्यम से सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

तीसरे , अफ्रीका में भारतीय निवेशकों और आसियान की ओर देखने वाले भारतीय व्यापारियों के बीच हालिया पुस्तक "द हरामबी फैक्टर" में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार,

भारतीय उद्यमियों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर स्थानीय वित्त की उपलब्धता एक मुद्दा है। ऐसा आसियान की तुलना में अफ्रीका में अधिक है। क्या भारत सरकार अपने कुछ अनुदान प्रावधानों का उपयोग एक फंड बनाने के लिए कर सकती है जो उन चुनिंदा अफ्रीकी देशों में वित्त की लागत को कम करने में सहायता करेगी जहां भारतीय कंपनियां अपने निवेश को प्राथमिकता देती हैं? यह ऐसे उद्यमों को समर्थन देने का एक अनूठा तरीका हो सकता है जिससे बदले में भारतीय परियोजना निर्यात में वृद्धि होगी।

व्यापार और एफटीएएस

जब भी हम मुक्त व्यापार समझौतों की बात करते हैं, तो आम तौर पर हम भारत के साथ खराब समझौते और भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं। लेकिन एफटीए के कुछ पहलू ऐसे हैं जो भारत के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। हमने ऊपर श्रमिक और छात्र गतिशीलता पर चर्चा की है।

ये भारत और यूरोपीय संघ, भारत-यूके और अन्य के बीच वर्तमान एफटीए चर्चा के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

एफटीए के तहत भारतीय प्रयास भारत के लोगों को उनकी गतिशीलता की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं लेकिन एक और पहलू है जो वास्तव में उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को भारत लाता है। बेशक, इसमें तेल, गैस, उर्वरक जैसी चीजें शामिल हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतें अलग-अलग होती हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को असुविधा होती हैं। भारतीय विदेश नीति उस सीमा तक ही कर सकती है
यह सुनिश्चित करें कि कीमतों पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण किए बिना खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे।

दलहन और तिलहन को देखते हुए, जहां भारत में खपत बहुत अधिक है लेकिन उत्पादन काफी कम है, आयात की जरूरत हमेशा बनी रहती है। यदि विदेशों में दाल की कमी होती है, तो इससे कीमतें बढ़ती हैं और आम लोगों के जीवन पर असर पड़ता है।

इसलिए, एफटीए के तहत भारतीय प्रयास भारत के लोगों को उनकी गतिशीलता की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं लेकिन एक और पहलू भी है जो वास्तव में उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को भारत लाता है।

बेशक, इसमें तेल, गैस, उर्वरक जैसी चीजें शामिल हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय कीमतें अलग-अलग होती हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को असुविधा होती हैं। उस सीमा तक भारतीय विदेश नीति केवल यह सुनिश्चित कर सकती है कि कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम हुए बिना खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। दलहन और तिलहन को देखते हुए, जहां भारत में खपत बहुत अधिक है लेकिन उत्पादन काफी कम है, आयात की जरूरत हमेशा बनी रहती है। यदि विदेशों में दाल की कमी होती है, तो इससे कीमतें बढ़ती हैं और आम लोगों के जीवन पर असर पड़ता है।
भारत ने 2008 में पहले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में एक ड्युटी-फ्री टैरिफ प्रीफेरेंस (डीएफटीपी) योजना की घोषणा की, जो सबसे कम विकसित देशों, जिनमें से 33 अफ्रीका में हैं, के लिए डब्ल्यूटीओ के अनुरूप एकपक्षीय सुविधा है।

कई एलडीसी, विशेष रूप से म्यांमार, मोज़ाम्बिक और तंजानिया, डीएफटीपी योजना के तहत भारत को दालों की आपूर्ति करने में सबसे आगे हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों में, यह जानते हुए कि भारत में निर्यात के अवसर हैं, दालों के विकास में स्थानीय लोगों और भारतीयों द्वारा केंद्रित निवेश किया गया है।
मोज़ाम्बिक और तंजानिया के साथ, भारत ने न्यूनतम खरीद समझौता किया है ताकि अनुबंधित किसानों को अधर में न छोड़ा जाए। बदले में, यह शुल्क-मुक्त टैरिफ के तहत मित्रवत अल्प विकसित देशों से आयात करके भारत में दाल क्षेत्र के लिए एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। बेशक, वर्तमान में भारत में दाल के सबसे बड़े निर्यातक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, लेकिन तथ्य यह है कि मित्रवत एलडीसी के साथ इन पर काम करने की पहल की गई, यह भारतीय नीतियों की सफलता है।

सांस्कृतिक पहचान और संबंध

हमने चर्चा की है कि कई देशों में भारतीय प्रवासियों की संख्या पहले की तुलना में बहुत अधिक है। उनकी सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव को बनाए रखने की गहराई भारत और प्रवासी समुदायों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां प्रवासी कम हैं, वहां उनसे निपटने के लिए एक भारतीय एसोसिएशन पर्याप्त है।

जापान में मेरे पहले असाइन्मेंट पर, टोक्यो क्षेत्र के सभी भारतीय दिवाली के लिए एक हॉल में मिलते थे क्योंकि वे केवल लगभग 400 लोग थे। अब बृहत् टोकियो क्षेत्र में ऐसा कोई हॉल नहीं है जिसमें सभी भारतीयों को समाया जा सके। परिणामस्वरूप, वे क्षेत्रीय और व्यावसायिक एसोसिएशन्स बनाते हैं। ऐसा कई देशों में हुआ है। उन्हें सहायता प्रदान करके, कभी-कभी वित्तपोषण करके, उनकी रुचि की सांस्कृतिक मंडलियों को लाकर यह इन समूहों की सांस्कृतिक पहचान का समर्थन करने में भारतीय दूतावासों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की प्रोफ़ाइल को बढ़ाता है।

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भी इन बढ़ती भारतीय प्रवासी एसोसिएशन्स, विशेषकर पहली पीढ़ी के प्रवासियों से व्यवहार में भूमिका निभाती हैं। भारतीय संस्थानों की मुख्य भूमिका इन संस्थानों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायता करना है। अक्सर, वे अपनी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं से संबंधित भाषा कक्षाएं, नृत्य कक्षाएं आयोजित करते हैं।

मुझे याद है कि केन्या में, उत्तर भारतीय मंदिर उस दिन रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाना पसंद करते थे। हालाँकि वे एक ऊंचा पुतला बनाते थे, लेकिन उसके अनुपात और आकार से किसी डरावने, बड़े रावण का आभास नहीं होता था। जैसे-जैसे उस समुदाय की संख्या बढ़ती गई, उन्होंने 1990 के दशक के अंत में अपने लिए एक रावण बनाने के लिए एक विशेषज्ञ को लाने के लिए भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया।

अब प्रत्येक भारतीय की यह अपेक्षा है कि जब वे विदेश में होंगे तो उन्हें भारत की विदेश नीति सत्ताधारी वर्गका संरक्षण प्राप्त होगा। उन्हें विश्वास है कि किसी भी परेशानी में दूतावास उनकी मदद करेगा।

शायद यह पहला मौका था जब इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ हो। उच्चायोग, मंत्रालय और आईसीसीआर में हम दोनों थोड़े हैरान थे। यह पता चला कि भारत स्थित रावण बनाने वाले सभी विशेषज्ञ दशहरे से पहले के महीनों में बहुत व्यस्त थे क्योंकि उनके पास पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर थे। चूँकि हम उस वर्ष मंदिर समिति की मदद नहीं कर सके, हमने एक प्रणाली बनाई जिसके तहत रावण बनाने वाला दशहरा से तीन महीने पहले उनके पास आएगा, रावण का पुतला बनाएगा जिसे उचित दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा।

यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक त्योहारों, पहचानों, विशेषताओं को विदेशों में कैसे हमारे दूतावासों से समर्थन की उम्मीद की जाती है। निःसंदेह, यह कई सांस्कृतिक एसोसिएशन्स को श्रेय देने से बचने के लिए नहीं है, जो अपने स्वयं के धन जुटाते हैं और अपने सांस्कृतिक उत्सवों को और अधिक आनंदमय बनाने के लिए पुजारियों, मूर्ति-निर्माताओं, नृत्य समूहों, भजन गायकों और इसी तरह के अन्य लोगों को लाते हैं।

भारत के विदेश नीति स्थापना द्वारा संरक्षण

अब प्रत्येक भारतीय की यह अपेक्षा है कि, जब वे विदेश में होंगे, तो उन्हें भारत की विदेश नीति सत्ताधारी वर्गका संरक्षण प्राप्त होगा। उन्हें विश्वास है कि किसी भी मुसीबत में दूतावास उनकी मदद करेगा। विदेशों में भारतीयों की बढ़ती संख्या, जिनमें लीबिया और यमन जैसे सुदूरवर्ती देश भी शामिल हैं, संकट के समय सहायता मांगने आने वाले भारतीयों की संख्या को देखकर अक्सर आश्चर्य होता है।

अशांत क्षेत्रों से भारतीयों को निकालना भारतीय दूतावास और अक्सर भारत की सेना, नौसेना और वायु सेना का कर्तव्य है। वर्तमान सदी में की गई तीन सबसे प्रसिद्ध निकासी थीं गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया से, इजरायली आक्रमण के बाद लेबनान से और जब वहां यमन गृहयुद्ध छिड़ गया था। गंभीरता से कहें तो ज्यादातर विश्लेषकों को पता भी नहीं होगा

संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को निकालना भारतीय दूतावास और अक्सर भारत की सेना, नौसेना और वायु सेना का कर्तव्य है।

कि लीबिया, लेबनान और यमन में इतने सारे भारतीय हैं। और फिर भी, इन देशों से हज़ारों लोगों को निकाला गया। 2015 में ऑपरेशन राहत ने 6700 लोगों को यमन से निकाला। 2011 में 15000 लोगों को लीबिया से निकाला गया और 2006 में ऑपरेशन सुकून के तहत लगभग 3000 लोगों को लेबनान से निकाला गया।

उस समय लीबिया और लेबनान में भारतीय राजदूत दोनों महिलाएँ थीं, राजदूत मनिमेकलाई और राजदूत नेंगचा ल्होवुम, जिन्होंने इतने सारे भारतीयों को भारतीय जहाजों और विमानों की ओर व्यवस्थित स्थानांतरण की व्यवस्था करने में सराहनीय काम किया, जो मौजूद सुरक्षा स्थिति के कारण आ रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन दोनों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार दिया गया। मैं पहले ही यूक्रेन संकट के बाद और हाल ही में अक्टूबर 2023 में इज़राइल-हमास युद्ध के पुनः शुरु होने के बाद इज़राइल से निकासी का उल्लेख कर चुका हूं।

जबकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय प्रवासी की वृद्धि बहुत अधिक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह युद्धों, आक्रमणों और विनाशकारी जलवायु घटनाओं से भी संकट तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जिसके कारण भारतीय दूतावास को बचाव और निकासी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे जुड़ी एक समस्या यह है कि ज्यादातर देशों में पढ़ाई आदि के लिए काम करने आने वाले भारतीयों को दूतावास में पंजीकरण कराना समझदारी नहीं लगती है। इसका मतलब यह है कि जब दूतावास आकस्मिक योजनाएँ बनाता है, तो उसे इस बात का कोई वास्तविक अंदाज़ा नहीं होता कि वास्तव में कितने लोग हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उपयोग लोगों को पंजीकृत करने के लिए किया जा सकता है लेकिन, कई देशों में, भारतीय वास्तव में पंजीकरण करने में अनिच्छुक हैं।

मुझे याद है जर्मनी में, जब भी मैं किसी शहर में जाता था, तो वहां के छात्रों से मेरी मुलाकात होती थी, जिनमें से अधिकांश पोस्टडॉक्टरल फेलो थे। उन्होंने पंजीकरण के बारे में मेरे सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि हमें यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम यहां हैं। उन्हें जर्मनी में वीज़ा और आप्रवासन के लिए पंजीकरण करने और अपने स्वयं के दूतावास या पास के वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करने के बीच अंतर नहीं पता था।

इस समस्या को समझते हुए, हमने छात्रों के बीच से उत्साही लोगों के एक समूह का सहयोग किया जो नए छात्रों के लिए बहुत मददगार थे और उन्हें छात्र निकायों के एक एसोसिएशन की तरह संगठित होने में सहायता करने का निर्णय लिया। दूतावास से, हमने उन्हें एक पोर्टल बनाने में मदद की जहां छात्र एक-दूसरे की मदद करने के लिए पंजीकरण कर सकते थे और हम उस डेटाबेस का उपयोग न केवल संकट प्रबंधन के लिए कर सकते थे, बल्कि उन लोगों का पता लगाने के लिए भी कर सकते थे जो हमारे हित के क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि इसे छात्रों की स्वयं की पहल के रूप में देखा गया।

प्रवासी भारतीयों की ओर से नियमों का पालन करने में अनिच्छा है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि जब चीजें बिगड़ें तो उन्हें बचा लिया जाएगा

मौजूदा दौर में निस्संदेह अधिकांश भारतीयों के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति सत्ताधारी वर्गऔर उसकी उपलब्धियाँ आम भारतीय लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। कई मायनों में देश भर में G 20 जैसे प्रयास इस समझ को व्यापक भारतीय जनता तक पहुंचाने में मदद करता है, जो तब समझेंगे कि क्यों विदेश नीति और इसकी उपलब्धियाँ न केवल शक्ति का प्रक्षेपण हैं, बल्कि सार्वजनिक भलाई की उपलब्धि भी हैं। इसका प्रभाव कांसुलर मामलों, पासपोर्ट और निकासी से परे है।

यह भारतीय विदेश नीति सत्ताधारी वर्गकी योग्यता है कि वे किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि यह यमन में हुआ था, जहां जब आखिरी विमान अंततः रवाना हो रहा था तो नर्सों के एक समूह को जोर-जोर से समझाने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। उनके पास न छोड़ने और अपनी सेवा जारी रखने के अपने कारण थे। इसलिए, विदेश नीति सत्ताधारी वर्गसे भारतीयों की अपेक्षाएँ अक्सर भिन्न होती हैं।

मौजूदा दौर में निस्संदेह अधिकांश भारतीयों के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति सत्ताधारी वर्गऔर उसकी उपलब्धियाँ आम भारतीय लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं।कई मायनों में देश भर में G 20 जैसे प्रयास इस समझ को व्यापक भारतीय जनता तक पहुंचाने में मदद करता है, जो तब समझेंगे कि क्यों विदेश नीति और इसकी उपलब्धियाँ न केवल शक्ति का प्रक्षेपण हैं, बल्कि सार्वजनिक भलाई की उपलब्धि भी हैं। इसका प्रभाव कांसुलर मामलों, पासपोर्ट और निकासी से परे है।

भारत में दैनिक जीवन पर विदेश नीति का प्रभाव

प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा

परिचय: आपस में जुड़ी हुई दुनिया में विदेश नीति

हम सभी एक वैश्वीकृत दुनिया में रह रहे हैं। यह भौतिक, डिजिटल, आर्थिक और यहां तक कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयामों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विश्व के एक भाग में होने वाली घटनाएँ विश्व के प्रत्येक भाग को प्रभावित करती हैं। लाखों की संख्या में लोग राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, निवेशकों और यहां तक कि पर्यटकों के रूप में एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब एक उच्च नेटवर्क वाले साइबर स्पेस को निरुपित करता है जहां गांवों, कस्बों, शहरों और देशों के लोग अब जुड़े बिना नहीं रह सकते हैं।

एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में, कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता है और राष्ट्रों के बीच संबंधों का हर देश के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। देशों की विदेश नीतियों में न केवल उनके बीच संबंध शामिल हैं, बल्कि वैश्विक सामान्य और वैश्विक चुनौतियों से जुड़े मुद्दों, जैसे जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष में दौड़, बाहरी अंतरिक्ष हथियारीकरण, समुद्री प्रतिस्पर्धा, छोटे हथियारों का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार अपराध और ऐसे कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। अंतर-देशीय संघर्ष, युद्ध, आर्थिक मंदी और विभिन्न प्रकार की मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएँ भी लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

उदाहरण के लिए, यूक्रेन में मौजूदा युद्ध रूस और अमेरिका समर्थित यूक्रेन के बीच है, लेकिन इसने विकासशील दुनिया के सौ से अधिक देशों के सैकड़ों लोगों के लिए ईंधन, भोजन और उर्वरक का भारी संकट पैदा कर दिया है। इसने यूरोप में ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित कर दिया है और रूस की सीमा से लगे देशों में भय मनोविकृति पैदा कर दी है। 1970 और 1980 के दशक के ऊर्जा संकट ने लगभग सार्वभौमिक आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह पृथ्वी पर लगभग हर देश को भयभीत करती है। जब प्राकृतिक आपदाएँ किसी देश पर हमला करती हैं,

एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में, कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता है और राष्ट्रों के बीच संबंधों का हर देश के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। देशों की विदेश नीतियों में न केवल उनके बीच के संबंध शामिल हैं, बल्कि वैश्विक साझे और वैश्विक चुनौतियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष दौड़, बाहरी अंतरिक्ष हथियारीकरण, समुद्री प्रतिस्पर्धा, छोटे हथियारों का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार अपराध और ऐसे कई अन्य मुद्दे। अंतर-राज्य संघर्ष, युद्ध, आर्थिक मंदी और विभिन्न प्रकार की मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएँ भी लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

तो प्रभाव कभी भी उस देश तक ही सीमित नहीं होते हैं और अन्य देशों की प्रतिक्रिया और सहायता की कमी अन्य देशों पर प्रभाव डालती है।

किसी देश द्वारा नीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

इसलिए कोई भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि राष्ट्र-देशों की विदेश नीतियां केवल सरकारों के बीच का मामला नहीं हैं और सरकार-से-सरकार के बीच व्यवहार और बातचीत के परिणामों से लोगों का जीवन लाभान्वित होता है या प्रभावित होता है।

विदेश नीति लोगों के लिए 'विदेशी' नहीं है

किसी देश की विदेश नीति देश के नागरिकों के लिए "विदेशी" नहीं होती और न ही हो सकती है। परंपरागत रूप से, विदेश नीति को गूढ़, अभिजात्य और देश के आम नागरिकों की समझ से परे माना जाता था। जब लोग स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक राजनीति में मतदान करने जाते हैं, तो किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित मौजूदा सरकार की विदेश नीति मतदान व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है।[1] इसके अलावा, राजनीतिक दल, अपने-अपने पार्टी मंचों पर विदेश नीति विकल्पों और रणनीतियों को प्रदर्शित करते हुए, शायद ही कभी विदेश नीति को अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बनाते हैं। रोज़मर्रा के मुद्दे, जैसे बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति, कानून और व्यवस्था और आम लोगों के जीवन से संबंधित अन्य मुद्दे चुनाव अभियानों और समाचार सुर्खियों या प्राइम टाइम टेलीविजन चर्चाओं पर हावी रहते हैं। अधिनायकवादी देशों में विदेश नीति पर लोकप्रिय प्रतिक्रियाएँ लगभग अनुपस्थित हैं।

फिर भी, विदेश नीति के लक्ष्य और उनका कार्यान्वयन स्वाभाविक रूप से लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं और अक्सर उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। पारंपरिक विदेश नीति अवधारणाएँ, सिद्धांत, विश्लेषण और चर्चाएँ इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि किसी देश की विदेश नीति घरेलू राजनीति के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। इस सूत्रीकरण में सत्य का अंश है। जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने एक बार कहा था: "हमने कुछ सरल प्रश्न पूछकर बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति रणनीति निर्धारित की है: "अमेरिकी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए हमारी विदेश नीति का क्या अर्थ होगा? हमें अपने घर में खुद को मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर में क्या करने की जरूरत है? और दुनिया में खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें घर पर क्या करने की जरूरत है?"[2] ये तीन प्रश्न घरेलू और विदेश नीति के बीच जैविक संबंधों को

पारंपरिक विदेश नीति अवधारणाएँ, सिद्धांत, विश्लेषण और चर्चाएँ इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि किसी देश की विदेश नीति घरेलू राजनीति के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। इस सूत्रीकरण में सत्य का अंश है।

स्पष्ट रूप से समझाते हैं। जब तक किसी देश के लोग अपना योगदान नहीं देते, राष्ट्र-देश राष्ट्रों के समुदाय में खड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार उत्पादन, वितरण, कृषि, विनिर्माण, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर घरेलू नीतियों का उद्देश्य देश को मजबूत बनाने के लिए अन्य बातों के अलावा नागरिकों को सशक्त बनाना है। और एक सरकार शेष विश्व के साथ जो करती है उसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है, जिसमें अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य, धन, शांति और खुशी और सुरक्षा लाना शामिल है। लेकिन विदेश नीति आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए पर्याप्त अनुसंधान का अभाव है।

इस क्षेत्र में विद्वतापूर्ण बहस, विचार-विमर्श और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की पहल करने के लिए भारतीय वैश्विक परिषद् बधाई की पात्र है।

भारतीय विदेश नीति आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करती है?

दशकों से भारतीय विदेश नीति ने देश में अलग-अलग नागरिकों को कैसे प्रभावित किया है? सबसे पहले, विदेश नीति के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अन्य देशों के साथ ऐसे संबंध बनाए रखना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सकें और, निहितार्थ से, देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान कर सकें।

विदेशी आक्रमण, भले ही सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित हों, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित महसूस कराते हैं और साथ ही उनकी जीवन शैली को भौतिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। 1940 के दशक के अंत में ब्रिटिश शासन से आजादी के शुरुआती महीनों से लेकर भारत को पड़ोसी देशों के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। 1940 के दशक के अंत में ब्रिटिश शासन से आजादी के शुरुआती महीनों से लेकर भारत को पड़ोसी देशों के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के कुछ महीनों बाद, भारतीय सेना को कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण को रोकना था। दुर्भाग्य से, 1947-48 में कश्मीर पर पहले युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने आज तक जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और एक बार फिर भारत को गंभीर क्षति पहुंचाई जो भारतीय क्षेत्र पर कब्जे तक ही सीमित नहीं थी। भारत के कमजोर मनोबल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जल्द ही चीन के साथ रणनीतिक दोस्ती कर ली और 1965 में जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हालाँकि पाकिस्तान कश्मीर में और अधिक क्षेत्र हासिल करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में उसकी जन-विरोधी नीतियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत

विदेश नीति के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अन्य देशों के साथ ऐसे संबंध बनाए रखना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सकें और, निहितार्थ से, देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर सकें।

ऐसा माना जाता है कि युद्ध अन्य तरीकों से विदेश नीति है। ऐसी समझ उन देशों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए आक्रामकता करते हैं। लेकिन आक्रामकता के शिकार लोगों के लिए भी, सेना के अलावा, विदेश नीति, निश्चित रूप से, आक्रामकता का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली साधन है।

को हस्तक्षेप करने और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया। भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली और उसने अपना नाम बदलकर बांग्लादेश कर लिया, लेकिन इन सभी युद्धों का लोगों के जीवन पर प्रभाव स्पष्ट था।

ऐसा माना जाता है कि युद्ध अन्य तरीकों से विदेश नीति है। ऐसी समझ उन देशों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए आक्रामकता करते हैं। लेकिन आक्रामकता के शिकार लोगों के लिए भी, सेना के अलावा, विदेश नीति, निश्चित रूप से, आक्रामकता का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली साधन है। लेकिन लोगों ने आक्रामकता को रोकने के लिए ताकत की कमी पर सवाल उठाया। सरकार पर आक्रमणकारियों से भविष्य की चुनौतियों को रोकने के लिए सैन्य ताकत बनाने के लिए लोगों का दबाव है। युद्ध का सीधा प्रभाव लोगों द्वारा सरकार के प्रदर्शन को आंकने के तरीके पर पड़ता है। दूसरी ओर, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर है कि लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

युद्ध लड़ने की अवसर लागत बहुत बड़ी होती है। युद्ध व्यय उन विकासात्मक गतिविधियों के बजट में समा जाता है जो नागरिकों को सीधे प्रभावित करते हैं और इसके बाद भविष्य में आक्रामकता को रोकने के लिए सेना के विस्तार और मजबूती के लिए अधिक व्यय की भी आवश्यकता होती है। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के परिणामों पर अभी भी बहस होती है और विफलताओं और कमियों की ओर इशारा किया जाता है। सरकार चीनी आक्रामकता का अनुमान लगाने में विफल क्यों रही?[3] भारतीय सेनाएँ अच्छी तरह सुसज्जित क्यों नहीं थीं? सभी युद्ध मृत्यु और विनाश का कारण बनते हैं और इसका प्रभाव सैन्य कर्मियों के परिवारों पर भी पड़ता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान पर जीत और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार का एक अलग प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ा और उन्हें भारतीय सेना पर गर्व महसूस हुआ। कई पुस्तकों, जर्नल लेखों, अखबार विश्लेषणों, कार्टूनों, फिल्म निर्माणों का प्रकाशन लोगों की यह जानने की इच्छा का संकेत है कि सरकार ने अन्य देशों के साथ कैसे संबंध बनाए और कूटनीति की सफलताओं और विफलताओं पर; और निश्चित रूप से युद्ध की लागत और इसके लाभ पर विचार व्यक्त किए।

पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंशिक रूप से अलग-थलग पड़ गया है क्योंकि भारतीय कूटनीति उसकी नापाक गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों के संरक्षण और प्रचार को उजागर करने में सक्षम थी।

कूटनीति और संघर्ष का सह-संबंध

जबकि राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करना इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कदम था, कुशल कूटनीति भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक शक्ति गुणक थी। पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंशिक रूप से अलग-थलग पड़ गया है क्योंकि भारतीय कूटनीति उसकी नापाक गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों के संरक्षण और प्रचार को उजागर करने में सक्षम थी। कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद का उपयोग करने के पाकिस्तानी सत्ताधारी वर्गके सभी प्रयासों को भौतिक रूप से विफल कर दिया गया है और भारत न केवल पाकिस्तान के धोखे को बेनकाब करने में सफल रहा है, बल्कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करके कश्मीर को वैध रूप से एक सामान्य राज्य बना दिया है। 1980 के दशक के अंत से दशकों तक पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के कारण कश्मीर के लोगों को जान और माल दोनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कश्मीर सहित पूरे देश में सुरक्षा अधिकारियों के परिवारों ने अपने प्रियजनों और अपने परिवार के कमाने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों को खो दिया।कश्मीर में आम लोगों की नौकरियाँ और पर्यटन उद्योग से होने वाली कमाई ख़त्म हो गई, हजारों की संख्या में छात्र शांति और समय पर अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। भारत भर के करदाताओं को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में सरकार का भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। ये कम तीव्रता वाले संघर्ष के ठोस प्रभाव थे और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में चतुर कूटनीति के लिए, जीवन और अर्थव्यवस्था की लागत अकल्पनीय रूप से अधिक होती।

जहां पाकिस्तान इस समय अपनी भारत विरोधी गतिविधियों का खामियाजा भुगत रहा है, वहीं चीन भारत के लिए एक अलग तरह का खतरा पैदा करता है। यह अपनी आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमताओं के मामले में काफी बढ़ गया है। भारत ने 1980 के दशक के अंत से सीमा पर शांति के लिए प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करके और घनिष्ठ व्यापार संबंध बनाकर चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की। जबकि शांतिपूर्ण उत्थान का सिद्धांत

लेकिन सीमा पार आतंकवाद से निपटने में चतुर कूटनीति के लिए, जीवन और अर्थव्यवस्था की कीमत अकल्पनीय रूप से अधिक होती।

भारत-चीन संबंधों की स्थिति कई लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर चीन का दावा कुछ हद तक अनिश्चितता पैदा करता है; जो लोग भारत-चीन सीमा पर रहते हैं उन्हें या तो सीमा पार व्यापार का लाभ मिल सकता है या वे लाभ से वंचित हो सकते हैं;

भारत सहित अधिकांश देशों के लिए बेकार है, इंडो-पैसिफिक में इसकी मुखर नीतियां और भारत की सीमा पर आक्रामक कदम भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी देश के रूप में, जो विश्व मामलों में अमेरिकी प्रधानता को चुनौती देने की इच्छा रखता है, चीन भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और भारत के साथ क्षेत्रीय विवाद को हल करने के लिए धीमी गति से कदम बढ़ा रहा है।

भारत-चीन संबंधों की स्थिति कई लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर चीन का दावा कुछ हद तक अनिश्चितता पैदा करता है; जो लोग चीन-भारत सीमा पर रहते हैं उन्हें या तो सीमा पार व्यापार का लाभ मिल सकता है या वे लाभ से वंचित हो सकते हैं; चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर पुल बनाने से भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां ऐसी नदियां बहती हैं, कई लोगों की आजीविका को खतरा है। हालाँकि, भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति और वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत ने सफलतापूर्वक अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है, विश्वसनीय परमाणु और मिसाइल क्षमता हासिल की है और 1962 के अनुभव को दोहराने से रोकने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में जब चीनी सेना ने अपनी ताकत दिखाई डोकलाम में और गलवान घाटी में अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए, भारतीय सेना ने चीनी सैन्यकर्मियों को मजबूती से खदेड़ दिया। चीनी जुझारूपन के भौतिक प्रतिरोध के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और कुछ यूरोपीय देशों सहित कई प्रमुख शक्तियों के साथ रचनात्मक संबंध बनाकर चीनी व्यवहार को संभालने में भारत का कूटनीतिक कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण था, जिनमें से कई लोगों की चीनी धक्का-मुक्की और आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने में समान रुचि रही है।

आज भारतीय लोगों को विश्वास है कि भारत चीन को पड़ोस में दादागिरी करने या भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा नहीं बनने देगा।

राजनीतिक और भू-राजनीतिक मुद्दों के अलावा, भारत की आर्थिक नीति, व्यापार नीति, ऊर्जा नीति, पर्यावरण नीति, शिक्षा नीति दोनों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव के संदर्भ में लोगों के विभिन्न वर्गों को उनके दैनिक जीवन और गतिविधियों में सीधे प्रभावित करती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेहतर संबंध, जापान के साथ नई रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को जारी रखना और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता का हिस्सा होने से निश्चित रूप से बीजिंग पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है। आज भारतीय लोगों को विश्वास है कि भारत चीन को पड़ोस में दादागिरी करने या भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा नहीं होने देगा।

भारत की पड़ोस नीति समान रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, खासकर दक्षिण एशियाई देशों की सीमा से लगे राज्यों में। जबकि सीमा व्यापार आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण खंड है, अवैध प्रवासन सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों में योगदान देता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, लेकिन सीमाएँ लंबी और छिद्रपूर्ण हैं और हर तरफ सीमा की दीवारें खड़ी करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा, विदेश मंत्रालय राजनयिक उपकरणों का उपयोग करता है और अवैध प्रवासन को हतोत्साहित करने, रोकने या प्रबंधित करने के लिए पड़ोसी देशों में अपने समकक्षों के साथ जुड़ता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के शांतिपूर्ण और रचनात्मक संबंध, सीमा पार व्यापार और वाणिज्य और लोगों के बीच संपर्क इस बात का उदाहरण है कि विदेश नीति आम लोगों को कैसे प्रभावित करती है।बड़े परिप्रेक्ष्य से विचार करने पर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और विनाशकारी शीत युद्ध के बीच गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाने का भारत का निर्णय देश और लोगों के सर्वोत्तम हित में था। भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्ष रणनीति ने शीत युद्ध के दोनों पक्षों के देशों के साथ भारत के संबंधों को सुविधाजनक बनाया और भारत को विदेशी उलझनों से मुक्त रखा, और सोवियत और अमेरिकी गुट दोनों से विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान बना दिया। भारतीय व्यवसायी दोनों गुटों के साथ व्यापार कर सकते थे और विदेशी निवेश से भारत के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के अवसर पैदा हुए। घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाई और उन कृषि वस्तुओं के आयात को भी रोका जिनका भारतीय किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता था।

राजनीतिक और भू-राजनीतिक मुद्दों के अलावा, भारत की आर्थिक नीति, व्यापार नीति, ऊर्जा नीति, पर्यावरण नीति, शिक्षा नीति दोनों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव के संदर्भ में लोगों के विभिन्न वर्गों को उनके दैनिक जीवन और गतिविधियों में सीधे प्रभावित करती हैं।

विदेश आर्थिक नीति

कोई भी देश निरंकुश आर्थिक नीति नहीं अपना सकता। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विदेशी आर्थिक और तकनीकी सहायता युगों से चली आ रही है, तीव्र वैश्वीकरण ने देशों के लिए नए अवसर, चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ सामने लाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध लोगों के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

विदेशी व्यापार और निवेश नीतियां, निर्यात और निवेश प्रोत्साहन पहल, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों, विदेशी सहायता या बाहरी ऋणों का उचित संचालन, विदेशी कंपनियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से औद्योगिक-कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ अनुसंधान और विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, लोगों के दैनिक जीवन के साथ सह-संबंध रखते हैं - किसान, निर्माता, निर्यातक, श्रमिक और यहां तक कि आम लोग जो वस्तु और उपभोक्ता कीमतों के संदर्भ में बाजार की स्थितियों से प्रभावित होते हैं।

भारत सरकार अपने विदेश नीति दृष्टिकोण में एक रणनीति का पालन करती है जो छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को विदेशी उत्पादों के साथ अनुचित और असंतुलित प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयास करती है। सरकार भारतीय कंपनियों और उद्यमियों को अपने उत्पाद निर्यात करने में सहायता के लिए सब्सिडी और कर प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

स्वतंत्रता के बाद, कृषि और सीमित औद्योगिक क्षमताओं की पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि में, भारत सरकार को कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को असमान विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कई उपाय करने पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहा था और भारत किसी भी तरह से इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। अमेरिका की आर्थिक नीति कम सरकारी हस्तक्षेप और निजी क्षेत्रों को उनके उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए अधिक स्वतंत्रता थी। अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संरचनाएं, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएँ भी शामिल थीं, उन पूंजीवादी आर्थिक प्रथाओं का प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध थीं और दूसरी ओर, सोवियत संघ, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना और सोवियत समर्थित शासन, स्वतंत्रता के बाद, पिछड़ी कृषि और सीमित औद्योगिक क्षमताओं की पृष्ठभूमि में, पूर्वी यूरोप में, राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास के चैंपियन थे।

भारत सरकार साम्यवादी/समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने मध्यम मार्ग अपनाया। देश उन आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करेगा जो जनता को प्रभावित करेंगी और साथ ही ऐसी नीतियां अपनाएगा जो निजी घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी और नवाचार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करेंगी। इस प्रकार भारतीय आर्थिक नीति को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। कुछ ने इसे आर्थिक मॉडल का समाजवादी स्वरूप बताया। भारतीय आर्थिक विदेश नीति मिश्रित आर्थिक नीति के इसी मॉडल के अनुसार तैयार की गई थी।

अंत में, ऐसी आर्थिक विदेश नीति भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों के दौरान भारतीय लोगों के हित में थी। किसानों और उद्योगपतियों को विदेशी मुक्त व्यापारियों से आश्रय की आवश्यकता थी। हालाँकि, समय बीतने के साथ, यह महसूस किया गया कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप ने विकास और नवाचार को अवरुद्ध कर दिया है।

विश्व में भारत की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन के लिए भारत की आर्थिक विदेश नीति आंशिक रूप से जिम्मेदार है। आज भारत ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से भी अधिक सकल घरेलू उत्पाद के साथ न केवल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है - सात सबसे धनी देशों के समूह का सदस्य है, बल्कि इसे एक आईटी महाशक्ति भी माना जाता है।

नई दिल्ली की विदेशी आर्थिक नीतियां भारतीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना चाहती हैं।

संरक्षणवादी नीतियों ने प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया और इसलिए, आधुनिकीकरण को बाधित किया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत तक, आर्थिक विकास के सोवियत और चीनी मॉडल भी बदनाम हो गए थे और पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था समग्र आर्थिक विकास के लिए एक बेहतर मॉडल प्रतीत हुई। सोवियत पतन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति और 1970 के दशक के अंत में शुरू किए गए और 1990 के दशक में सोवियत विघटन के बाद तेजी से लागू किए गए चीनी सुधारों की सफलता से वाशिंगटन सर्वसम्मति से प्राप्त सिद्धांतों का प्रसार हुआ जिसने नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर जोर दिया। भारत ने नई वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सोवियत विघटन से कुछ महीने पहले एक लघु-आर्थिक क्रांति शुरू की और अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था की आज की सफलता की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत के आर्थिक उदारीकरण में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के आर्थिक सुधारों ने न केवल विनिर्माण और माल उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि जनता के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा किए। जैसे ही भारत में मध्यम वर्ग का तेजी से विस्तार होने लगा, विदेशी निवेशकों और व्यापारियों ने व्यापार करने के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में प्रवेश किया। इस बीच, फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत के रचनात्मक संबंधों ने खाड़ी देशों में काम करने के लिए भारत से कुशल और अकुशल श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधा भी प्रदान की। लाखों की संख्या में ये मजदूर भारत में अपने परिवारों को धन भेजने में सक्षम हुए, जिससे एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ और सैकड़ों-हजारों परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हुए। विश्व में भारत की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन के लिए भारत की आर्थिक विदेश नीति आंशिक रूप से जिम्मेदार है।

विदेशों के साथ भौतिक, डिजिटल और लोगों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की नई दिल्ली की नीतियों का लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। जैसा कि भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने बताया है, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री, मिताली और बंधन एक्सप्रेस जैसी भारत की पड़ोस में कनेक्टिविटी परियोजनाएं "लोगों के बीच बेहतर संबंधों और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देती हैं।"

घरेलू स्तर पर भारत की ऊर्जा नीति और तेल एवं गैस उत्पादक देशों के साथ इसके संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोकार्बन संसाधन से समृद्ध पश्चिम एशियाई, विशेष रूप से फारस की खाड़ी के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए, भारत सरकार भारतीय लोगों को ऊर्जा तक सस्ती और निर्बाध पहुंच प्रदान करना चाहती है।

आज भारत ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से भी अधिक जीडीपी के साथ न केवल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है - सात सबसे धनी देशों के समूह का सदस्य है, बल्कि इसे एक आईटी महाशक्ति भी माना जाता है। भारतीय पेशेवर और सेवा

उदाहरण के लिए, भारत आज दुनिया में दूध, पशुधन और विभिन्न कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक बन गया है, फिर भी पश्चिमी विकसित देशों के सब्सिडी वाले कृषि क्षेत्र, जब तक जांच नहीं की जाती, घरेलू बाजार में भारतीय उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इस प्रकार, नई दिल्ली की विदेशी आर्थिक नीतियां भारतीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना चाहती हैं।

दूसरे, भारत ने अंधाधुंध मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया है और, जब उसने सार्क और आसियान जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं, तो लक्ष्य भारतीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना रहा है। भारत द्वारा आरसीईपी और सीपीटीपीपी पर हस्ताक्षर न करने का एक कारण भारतीय लोगों के विभिन्न वर्गों पर उनका संभावित प्रतिकूल प्रभाव है।

साथ ही, विदेशों के साथ भौतिक, डिजिटल और लोगों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की नई दिल्ली की नीतियों का लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। जैसा कि भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार उद्योग समृद्ध हुए हैं और विदेशों में भारतीय निवेश तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी विदेशों से चुनौतियां बनी हुई हैं और भारतीय लोगों को हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए भारत बाहरी दुनिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों में सावधान रहा है।

रंजन सिंह ने बताया, भारत की अपने पड़ोस में कनेक्टिविटी परियोजनाएं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री, मिताली और बंधन एक्सप्रेस, "लोगों के बीच बेहतर संबंधों और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देती हैं।" भारत वर्तमान में अगरतला और अखौरा सहित अधिक लिंकेज लाने के लिए काम कर रहा है और उसने नेपाल के साथ रेल और सड़क कनेक्टिविटी नेटवर्क और नेपाल और बांग्लादेश के साथ ऊर्जा लिंक भी विकसित किया है। उनकी निम्नलिखित टिप्पणियाँ लोगों पर विदेश नीति के प्रभाव को दर्शाती हैं: "बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार को बढ़ावा देने, अधिक निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ व्यापार लेनदेन लागत और समय को कम करने में मदद करती है। इससे संरचनात्मक सुधार, कुशल पेशेवरों की आवाजाही में वृद्धि, वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) का विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)

जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता और यहां तक कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता में कमी भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं।

की भूमिका में वृद्धि और विभिन्न असमानताओं में कमी आती है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से जोड़ने में इसकी केंद्रीय भूमिका के बदले में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं, इसकी 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीतियों में परिलक्षित होती हैं, जो पूर्वोत्तर को व्यापक इंडो-पैसिफिक के लिए कनेक्टिविटी गेटवे के रूप में फोकस में लाती हैं।" [4]

ऊर्जा नीति

भारत एक शुद्ध ऊर्जा आयातक है। कारखानों, उद्योगों, परिवहन नेटवर्क, रसोई में ईंधन और कई अन्य चीजों को चलाने के लिए तेल और गैस के आयात में सालाना अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। सस्ती ऊर्जा और ऊर्जा स्रोतों तक आसान पहुंच न केवल बड़ी आर्थिक गतिविधियों की कुंजी है, बल्कि व्यक्तियों और परिवारों के लिए भी अपरिहार्य है।

इस प्रकार घरेलू स्तर पर भारत की ऊर्जा नीति और तेल एवं गैस उत्पादक देशों के साथ इसके संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोकार्बन संसाधन से समृद्ध पश्चिम एशियाई, विशेष रूप से फारस की खाड़ी के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखकर, भारत सरकार भारतीय लोगों को ऊर्जा तक सस्ती और निर्बाध पहुंच प्रदान करना चाहती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार अत्यधिक अस्थिर है और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करता है, विदेश नीति भू-राजनीतिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और अंतरराज्यीय युद्धों या आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल, तेल और गैस उत्पादक देशों के समय संभावित या वास्तविक ऊर्जा की कमी को संभालने के लिए तैयार है।

इतिहास ऊर्जा संकट के उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन जिन प्रमुख घटनाओं ने भारत को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं 1970 के दशक में ओपेक देशों द्वारा तेल प्रतिबंध, 1980 के दशक का ऊर्जा संकट, 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल और गैस की उपलब्धता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंध, और यूक्रेन में जारी युद्ध और मध्य-पूर्व में संकट से ऊर्जा की कीमतों पर प्रभाव। भारत को सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय को इन सभी संकटों से कुशलतापूर्वक निपटना था। उदाहरण के लिए, भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण यह अक्सर एक कठिन कार्य था; वर्तमान स्थिति जहां यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदता है।

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की कवायद के हिस्से के रूप में, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह से अंतर्राष्ट्रीय छात्र मोबिलाइज़ेशन का समर्थन करता है।

जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता और यहां तक कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करना भी भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में भारत की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेतृत्व, ऊर्जा कुशल तंत्र विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऊर्जा अनुसंधान सहयोग ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां विदेश नीति सीधे और व्यापक रूप से जनता के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है।

गौरतलब है कि जनता की जीवन शैली और ऊर्जा का कुशल उपयोग भी भारत की ऊर्जा नीति को सुविधाजनक बनाता है या चुनौतियाँ पेश करता है। पर्यावरण और ऊर्जा खपत के बीच अंतर-संबंधों को देखते हुए, मोदी सरकार ने LiFE मिशन का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य इसे स्वस्थ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने और साथ ही वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए एक जन मिशन बनाना है।

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

हालाँकि कोई निर्दिष्ट विदेशी शिक्षा नीति नहीं है, अधिकांश देश अन्य देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक शाखा है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) जो दुनिया भर के कई देशों के साथ शैक्षिक सहयोग सहित सांस्कृतिक को बढ़ावा देती है। सैकड़ों-हजारों भारतीय छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 160 से अधिक देशों के छात्र नामांकित हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की कवायद के हिस्से के रूप में, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह से अंतर्राष्ट्रीय छात्र मोबिलाइज़ेशन का समर्थन करता है। आईसीसीआर विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है और शिक्षा मंत्रालय भी विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है और भारतीय छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में कई देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ द्विपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण जैसी कई अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत की डिजिटल तकनीक की आम लोगों तक जबरदस्त पहुंच है और भारत अब इस तकनीक को बाकी दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम है। यूपीआई और डीपीआई में विदेशों में भारतीय तकनीशियनों और सॉफ्टवेयर पेशेवरों के लिए नौकरियां पैदा करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने की क्षमता है।

इस प्रकार बड़ी संख्या में छात्र, संकाय सदस्य और शोधकर्ता भारतीय विदेश नीति से लाभान्वित होते हैं और भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान करते हैं और विदेशों में भारत की सकारात्मक छवियों को बढ़ावा देते हैं।

भारत वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है और इसका एक एजेंडा शिक्षा से संबंधित है और लक्ष्य इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण तत्व बनाना है। विशेष रूप से भारत और विकासशील दुनिया या ग्लोबल साउथ में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान का विस्तार करने और नवाचार को बढ़ाने और उचित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए प्रस्ताव दिया कि भारत वैज्ञानिक नवाचार का केंद्र होगा और ग्लोबल साउथ के छात्रों को भारत आने और अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

दोतरफा प्रक्रिया

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय विदेश नीति लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन भारतीय लोगों की उपलब्धियाँ भारत की नरम शक्ति को भी बढ़ाती हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी विधायकों को अपने संबोधन में गर्व से कहा था: "भारत युवा आबादी वाला एक प्राचीन राष्ट्र है। भारत अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन युवा पीढ़ी इसे टेक्नोलॉजी का हब भी बना रही है। चाहे वह इंस्टा पर क्रिएटिव रील्स हो या रियल टाइम पेमेंट, कोडिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग या मोबाइल ऐप, फिनटेक या डेटा साइंस, भारत के युवा इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए प्रस्ताव दिया कि भारत वैज्ञानिक नवाचार का केंद्र होगा और ग्लोबल साउथ के छात्रों को भारत आने और अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

कि एक समाज नवीनतम तकनीक को कैसे अपना सकता है। भारत में, प्रौद्योगिकी न केवल नवाचार के बारे में है बल्कि समावेशन के बारे में भी है।"[5]

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में उपलब्धियों को बाकी दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। ग्लोबल साउथ समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के सैकड़ों नेताओं को यह संदेश दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण जैसी कई अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत की डिजिटल तकनीक की आम लोगों तक जबरदस्त पहुंच है और भारत अब इस तकनीक को बाकी दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम है। यूपीआई और डीपीआई में विदेशों में भारतीय तकनीशियनों और सॉफ्टवेयर पेशेवरों के लिए नौकरियां पैदा करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने की क्षमता है। विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह के अनुसार, "हमारे पड़ोसियों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत-बांग्लादेश इंटरनेट लिंक शामिल है जो दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ चालू करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार करेगा। भारत भी अपने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जावान रूप से आगे बढ़ा रहा है जो भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डीपीआई को व्यापक रूप से अपनाकर रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जावान रूप से आगे बढ़ा रहा है जो भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डीपीआई को व्यापक रूप से अपनाकर रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला रहा है।"[6]

हालाँकि, भारतीय विश्वविद्यालय परिसरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए एक नई शिक्षा कूटनीति तैयार करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हालाँकि 160 से अधिक देश अपने छात्रों को भारत भेजते हैं, उनमें से अधिकांश दक्षिण एशिया और विशेष रूप से नेपाल से हैं। विदेशी छात्रों के स्रोतों का विस्तार किया जा सकता है।
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में विदेशी छात्रों को अपने परिसरों में आकर्षित करने के लिए सक्रिय नीतियां हैं। यह उन देशों के शैक्षणिक समुदायों सहित देश को सर्वांगीण लाभ पहुंचाता है। साथ ही, भोजन, पानी, ऊर्जा के प्रतिभूतिकरण और अन्य मुद्दों की तरह शिक्षा भी तेजी से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बनकर उभर रही है। शिक्षा को कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और नीतियां विकसित करने को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जबकि आईसीसीआर दशकों से सक्रिय है, शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठाए जाने चाहिए। कई देशों में

शिक्षा को कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और नीतियां विकसित करने को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थापित इंडिया चेयर को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मद्देनजर बेहतर ढंग से रणनीतिक बनाया जा सकता है। वैश्वीकृत दुनिया में, वैश्विक बाजार नए कौशल की मांग करते हैं। हर नवीन प्रौद्योगिकी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और गतिशील हो गया है। बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। ऐसी नीति के लाभ कूटनीतिक, शैक्षणिक और यहां तक कि आर्थिक भी होंगे।

नई पहलें

कुछ वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार की पहलों का सीधा संबंध इस बात से है कि वह अपने देश में क्या करती हैं और यह दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं।

1. जलवायु परिवर्तन काफी हद तक एक अकादमिक मामला और पर्यावरणविदों के बीच एक बहस का मुद्दा था। विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई गंभीर चेतावनियाँ शायद ही कभी नीति निर्माण तक पहुँच पाती हैं। जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने स्वयं को बचाए रखने के लिए बहुत कड़ी पैरवी की। तेल और गैस का विकल्प अभी तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। लेकिन हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग और विनाशकारी घोषणाएं अधिक स्पष्ट हो गई हैं और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए वैश्विक पहल ने अधिक सकारात्मक मोड़ ले लिया है। अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में हीट वेब्स; कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में जंगली आग; विनाशकारी बाढ़, झंझावात, तूफ़ान, चक्रवात और टाइफून की बढ़ती आवृत्ति ने पर्यावरण को संरक्षित करना अनिवार्य बना दिया है। यद्यपि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु समझौता और कई अन्य वैश्विक पहल मौजूद हैं, किंतु कार्यान्वयन में हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार ने "पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर व्यक्तिगत स्तर पर कार्यों को शुरू करने का दृष्टिकोण" या LiFE दृष्टिकोण सामने रखा है।

दूसरे शब्दों में, भारत एक "वैश्विक आंदोलन" पर जोर दे रहा है जो जनता के "उपभोग पैटर्न और आदतों" को आकार दे सकता है। अन्य देशों के लिए जो प्रस्तावित किया गया है उसे अपने देश में भी लागू करने की आवश्यकता है और इस प्रकार सरकार ने "उज्ज्वला योजना के माध्यम से 100 मिलियन परिवारों को ठोस ईंधन से एलपीजी में स्थानांतरित करने में सहायता करने के लिए" LiFE पहल को लागू किया है, जिससे स्वास्थ में बेहतरी हुई है और इसमें "वनों की कटाई की रोकथाम" में योगदान दिया है। इस प्रकार इस विदेश नीति पहल का घरेलू आयाम है और इसका परिणाम भारत में हरित विकास होने की उम्मीद है।[7]

2. भारत की प्रमुख विदेशी आर्थिक नीतियों में से एक विकासशील देशों को विदेशी सहायता प्रदान करना है।

गौरतलब है कि भारत ने दशकों से तकनीकी मदद और आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई और लागू की है।

> हालाँकि यह नीति स्पष्ट रूप से ग्लोबल साउथ के सहयोगी देशों की मदद करने के लिए है, लेकिन यह भारतीय निर्माताओं, व्यापारियों, तकनीकी जनशक्ति और अन्य लोगों को भी लाभ पहुँचाती है। इस समय भारत के पास 78 देशों में लगभग 600'' विकास भागीदारी परियोजनाएं हैं और ऐसी परियोजनाओं की पूर्णता दर लगभग साठ प्रतिशत है।[8]

3. घरेलू विकास पर विदेश नीति का प्रभाव एकतरफ़ा नहीं है। घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। यह भारत में लोगों को सशक्त बनाने, नीतियों को समावेशी बनाने, भ्रष्टाचार से लड़ने और लोगों तक सीधे सेवाएं पहुंचाने के लिए लाए गए "क्रांतिकारी बदलाव" में बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित होता है। डिजिटलीकरण में भारत की सफलता भारत में व्यापार लाभांश लाएगी। भारत ने यूपीआई और डीपीआई में अपनी सफलता अन्य देशों को पेश की है। साथ ही, प्रधान मंत्री मोदी ने "दुनिया में डेटा विभाजन अंतर को दूर करने में मदद करने के लिए" प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण" का आह्वान किया है"।[9]

4. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ठीक ही कहा है: "विकास और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए डेटा को बढ़ावा देने पर साहसिक, निर्णायक कार्रवाई, जिनकी दुनिया भर में जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है। इन नवाचारों के साथ भारत के अपने अनुभव ने आधे दशक से भी कम समय में हमारे समाज और शासन को बदल दिया है।"[10]

समापन टिप्पणियाँ

भारत की विदेश नीति की जड़ें घरेलू हैं। भारत के सभ्यतागत अनुभव, राजनीतिक इतिहास- औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक दोनों, सामाजिक संरचनाएं, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक प्रदर्शन विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह, प्रमुख शक्तियों, पड़ोसी देशों, आर्थिक साझेदारों और साथी विकासशील देशों के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, उनकी धारणा को आकार देती है, उनके राजनीतिक व्यवहार को निर्देशित करती है और उनकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।

आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता यह थी कि हालाँकि इसने समाज को कई तरह से प्रभावित किया, लेकिन आम लोगों की इसमें रुचि कम थी और उनमें से अधिकांश वैश्विक विकास से अनभिज्ञ थे। केबल टीवी, बाद में इंटरनेट और उसके बाद सोशल मीडिया के उद्भव और प्रसार ने निश्चित रूप से

बाहरी दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। भारतीय विदेश नीति से लोगों को जोड़ने में दृश्य-श्रव्य मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यहां तक कि अनपढ़ लोग भी टेलीविजन देखते हैं और रेडियो सुनते हैं; और उनकी औपचारिक शिक्षा की कमी भारत की विदेश नीति के बारे में उनके ज्ञान, जागरूकता और चेतना को बढ़ाने में आड़े नहीं आती है।

एंडनोट्स

1 "Systematic analyses of the role of parties in foreign and security policy are rare beyond the specific case of the United States." For details see Tapio Raunio, Wolfgang Wagner, "The Party Politics of Foreign and Security Policy ", *Foreign Policy Analysis*, Volume 16, Issue 4, October 2020, Pages 515–531, 26 September 2020, https://doi.org/10.1093/fpa/oraa018

2 Anthony Blinken, "A Foreign Policy for the American People," Speech by US Secretary of State, 3 March 2021, https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/

3 An example can be found in the book authored by Brigadier Amar Cheema, "The Crimson Chinar: The Kashmir Conflict: Politico Military Perspective (New Delhi, Lancers, 2014). Numerous books and articles on India's war with China and Pakistan are testimony to impact of the war on Indian people. The debates over war and diplomacy are never ending. It suggests how people are affected by the way Indian conducts its diplomacy and defends the nation.

4 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36639/Remarks_by_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_Rajkumar_Ranjan_Singh_at_the_India_EU_Connectivity_Conference

5 (https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36714/Address_by_Prime_Minister_Shri_Narendra_Modi_to_the_Joint_Session_of_the_US_Congress

6 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36639/Remarks_by_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_Rajkumar_Ranjan_Singh_at_the_India_EU_Connectivity_Conference

7 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36674/Remarks_by_EAM_Dr_S_Jaishankar_at_the_second_G20_DMM_Session_Green_Development_a_LiFE_approach

8 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36714/Address_by_Prime_Minister_Shri_Narendra_Modi_to_the_Joint_Session_of_the_US_Congress

9 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36714/Address_by_Prime_Minister_Shri_Narendra_Modi_to_the_Joint_Session_of_the_US_Congress

10 https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/36670/Keynote_address_by_EAM_Dr_S_Jaishankar_at_the_G20_Development_Ministers_Meeting

लेखकों के बारे में

राजदूत गुरजीत सिंह

राजदूत गुरजीत सिंह जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया, आसियान और अफ्रीकी यूनियन में भारत के पूर्व राजदूत हैं।

उन्होंने जापान के साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर सहित अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग पर सीआईआई बिजनेस टास्क फोर्स की अध्यक्षता की। 2019 में इस तरह के सहयोग पर उनकी रिपोर्ट त्रिपक्षीय को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर केंद्रित थी।

वह सामाजिक प्रभाव निवेश आंदोलन से जुड़े हुए हैं और B2B जुड़ाव के लिए जापान सहित अन्य त्रिपक्षीय पहलों के साथ-साथ अफ्रीक़ा में इसका विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। वह सामाजिक प्रभाव हासिल करने वाली कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक हैं। वह आविष्कार फाउंडेशन और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की सलाहकार परिषद् के माध्यम से नागरिक समाज के प्रयासों से भी जुड़े हुए हैं।

वह टीवी और पत्रिकाओं में समसामयिक घटनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।

राजदूत सिंह एक प्रतिष्ठित सिनेमा प्रेमी हैं जिनकी भारतीय सिनेमा में रुचि है, जो अकादमिक और ऐतिहासिक दोनों है। उन्हें क्रिकेट सहित अन्य खेलों का बहुत शौक है और वह केन्या क्रिकेट एसोसिएशन से एक क्वालिफ़ाइड अंपायर हैं। उन्हें यात्रा करना, विभिन्न संस्कृतियों और व्यंजनों का अनुभव करना और लोगों से मिलना पसंद है। प्रत्येक कार्य में आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाने और सहभागिता के एजेंडे को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता सर्वविदित है। उन्हें व्यवसाय-अनुकूल विकासात्मक राजनयिक माना जाता है। वह विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं।

प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा

प्रो. चिंतामणि महापात्रा वर्तमान में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडो-पैसिफ़िक स्टडीज़ के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं।

वह मिजोरम विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् के सदस्य, वीपीएम सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, मुंबई की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, मणिपाल एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक के प्रबंधन और योजना बोर्ड के सदस्य और वीर सुरेंद्र सांई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला, ओडिशा के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य हैं।

वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के प्रोफेसर थे

प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा ने मार्च 2016 से लगभग छह वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रेक्टर (प्रो-वाइस चांसलर) के रूप में कार्य किया।

Prof. Mahapatra was also the Editor of Indian Foreign Affairs Journal, published by theAssociation of Indian Diplomats. प्रोफेसर महापात्रा एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन डिप्लोमैट्स द्वारा प्रकाशित इंडियन फॉरेन अफ़ेयर्स जर्नल के संपादक भी थे।

वह, यूजीसी समीक्षा समिति, क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के सदस्य, फैलोशिप विशेषज्ञ समिति, आईसीएसएसआर के सदस्य, संपादकीय बोर्ड, रणनीतिक विश्लेषण, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के सदस्य, संपादकीय बोर्ड, प्रवासी अध्ययन के सदस्य और अध्ययन समिति, एकेडमी ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़, जालिया मिलिया इस्लामिया के सदस्य जैसे पदों पर भी रह चुके हैं।

हाल ही में वह चीन की युन्नान यूनिवर्सिटी में टैगोर चेयर प्रोफेसर थे। उन्होंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति पुस्तकालयों और अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार में; और लंदन में ब्रिटिश पब्लिक रिकॉर्ड कार्यालय शोध किया है। प्रो. महापात्रा ने चार पुस्तकें लिखी हैं, चार खंडों का संपादन किया है और 30 से अधिक संपादित पुस्तकों में अध्यायों का योगदान दिया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 70 से अधिक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। उन्होंने 26 पीएचडी स्कॉलर्स और 51 एम.फिल डिग्री स्कॉलर्स का मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता की और पेपर्स प्रस्तुत किए हैं। उनके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, चीन, वियतनाम, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों का व्यापक अनुभव है।

उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में शोध करने के लिए फुलब्राइट फ़ेलोशिप, कॉमनवेल्थ फ़ेलोशिप और विजिटिंग फ़ेलोशिप जैसी कई अंतरराष्ट्रीय फ़ेलोशिप से सम्मानित किया गया है।

वह यूजीसी द्वारा संचालित कई अकादमिक स्टाफ कॉलेजों, विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज, नेवल वॉर कॉलेज और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं।

वह अंतरराष्ट्रीय मामलों पर समाचार पत्रों और दृश्य-श्रव्य मीडिया में नियमित कमेंटेटर भी हैं।

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय विश्व मामलों की परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद् आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज़ चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करती है और विभिन्न प्रकार के प्रकाशन निकालती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद् की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस, नई दिल्ली